Neutral Citation No.**2026**:AHC-LKO:**21409**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

स्थानांतरण आवेदन (दांडिक) सं. - 22 वर्ष 2023

नीति वर्मा

.... पुनरीक्षणार्थी (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

पुनरीक्षणार्थी (गण) के अधिवक्ता	: कृष्ण कन्हैया पाल, पूजा पाल, संतोष कु. यादव वारसी, शेखर सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ., आकांक्षा शाह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्रभात शुक्ला, राज नारायण, राज नारायण पांडेय, विवेक कुमार द्विवेदी

न्यायालय सं. -14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री शेखर सिंह के वाद-धारक श्री विश्वास, विरोधी पक्षकार सं. **2** की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अ.-I श्री मोह. आसिफ खान, विरोधी पक्षकार सं. **1** - ऋषिकल्प (आवेदिका के पति) के विद्वान् अधिवक्ता श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह को सुना, और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

2. धारा **407**, दं.प्र.सं. के अधीन दाखिल प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से, आवेदिका ने, धारा **498-**क, **323**, **504**, **506**, भा.दं.सं. और धारा **3/4**, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना मिल एरिया, जिला रायबरेली से उत्पन्न वाद अपराध सं. **0099/2021** से उत्पन्न वाद सं. **987** वर्ष **2022**: राज्य बनाम ऋषिकल्प, को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय से विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की है।

Translated Version. Not for Legal Use.

3. अंतरण आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदिका का विवाह विरोधी पक्षकार सं. **1** के साथ हुआ था, किंतु आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में विवाह की दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता ने न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया है कि विवाह की दिनांक **06.12.2020** है। यह कहा गया है कि विरोधी पक्षकार सं. **1** और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश किया गया था, किंतु इस घटना की दिनांक का अभिवचन शपथपत्र में नहीं किया गया है। आवेदिका अपने वैवाहिक घर वापस लौटी थी, किंतु विरोधी पक्षकार सं. **1** और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश किया था, किंतु इस घटना की दिनांक का उल्लेख भी आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में नहीं किया गया है।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. 05.03.2021 को, आवेदिका ने पुलिस थाना मिल एरिया, रायबरेली में विरोधी पक्षकार सं. **1,** उसके पिता, बहन और एक चचेरे भाई के विरुद्ध धारा **498, 323, 504, 506,** भा.दं.सं. और धारा **3/4,** दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध के लिए प्र.सू.रि. सं. **99** वर्ष **2021** दर्ज कराई थी। अन्वेषण के बाद, एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और उपर्युक्त वाद का विचारण लंबित है, जिसे इस स्थानांतरण आवेदन के माध्यम से अंतरित करने की मांग की गई है।

5. अंतरण का आधार यह है कि **21.02.2023** को, आवेदिका ने विरोधी पक्षकार सं. **1** के विरुद्ध धारा **323, 504** एवं **506,** भा.दं.सं. के अधीन एक और प्र.सू.रि. सं, **107** वर्ष **2023,** यह अभिकथन करते हुए दर्ज कराई थी, कि जब आवेदिका अपने द्वारा दर्ज कराए गए मामले की पैरवी करने के लिए मु.न्या.म., न्यायालय सं. **9,** रायबरेली के न्यायालय गई थी, तो विरोधी पक्षकार सं. **1** ने **21.02.2023** को सुबह लगभग **11:00** बजे आवेदिका और उसके पिता को धमकी दी थी, और उसने यह भी धमकी दी थी कि वह न्यायालय की पत्रावली गायब कर देगा। जब परिवादिनी **21.02.2023** को दोपहर **2:40** बजे इस घटना की सूचना पुलिस चौकी प्रभारी को देने जा रही थी, तो विरोधी पक्षकार सं. **1** ने उसे गालियां देना आरंभ कर दिया था और उसके विरोध करने पर, विरोधी पक्षकार सं. **1** ने उसके साथ मारपीट की थी और गेट संख्या एक से भाग गया था। गेट संख्या एक पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी आपस में बातचीत करने में व्यस्त थे, और वे विरोधी

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पक्षकार सं. 1 को पकड़ नहीं सके थे। प्र.सू.रि. में, आवेदिका ने सुरक्षा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था।

6. आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अन्वेषण के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, परंतु उसकी कोई प्रति अभिलेख पर नहीं लाई गई है।

7. विरोधी पक्षकार सं. 1 ने, स्थानांतरण आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में किए गए कथनों से इन्कार करते हुए, स्थानांतरण आवेदन का विरोध करते हुए एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, और यह कहा गया है कि आवेदिका ने वाद के अंतरण का आधार सृजित करने के लिए एक मिथ्या कहानी तैयार की है।

8. विरोधी पक्षकार सं. 1 ने, धारा 125, दं.प्र.सं. के अधीन वाद सं. 73 वर्ष 2022 में माननीय पारिवारिक न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रति और विरोधी पक्षकार सं. 1 के चिकित्सा पर्चों की प्रति संलग्न करते हुए, एक अनुपूरक-शपथपत्र दाखिल किया है। इस अनुपूरक-शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि आवेदिका न्यूज़ 85.आई एन में उप-संपादक के रूप में कार्यरत है और एक पत्रकार होने के कारण, वह स्वतंत्र रूप से यात्रा करती है और प्रभावशाली व्यक्तियों के साक्षात्कार लेती है, और ऐसा नहीं है कि आवेदिका किसी खतरे की आशंका के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ है।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

9. आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **21.02.2023** को न्यायालय परिसर के भीतर हुई घटना के कारण, आवेदिका न्यायालय, रायबरेली के समक्ष उसके द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने में खतरे का अनुभव कर रही है, और इसलिए, वाद किसी सक्षम न्यायालय, कानपुर में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

10. अपने निवेदनों के समर्थन में, आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता ने, **नाहर सिंह यादव एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य: (2011) 1** एस सी सी **307, रूपाली देवी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य: (2019) 5** एस सी सी **384,** के वादों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और **दिनेश महाजन बनाम विशाल महाजन:** अंतरण याचिका दांडिक सं. **442** वर्ष **2021, 26.10.2021** को विनिश्चित, के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विश्वास किया है।

11. इसके विपरीत, विरोधी पक्षकार सं. **1** के विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि ऐसी कोई वास्तविक घटना घटित ही नहीं हुई थी, जैसी आवेदिका द्वारा दर्ज कराई गई दूसरी प्र.सू.रि. में अभिकथित की गई है, और प्र.सू.रि. केवल अंतरण का आधार सृजित करने के लिए दर्ज कराई गई है। आवेदिका को अभिकथित घटना में कोई चोट नहीं लगी थी, घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, और केवल आवेदिका द्वारा प्र.सू.रि. दर्ज करके सृजित किसी कृत्रिम

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आधार पर अंतरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने, **ज्योति मिश्रा बनाम धनंजय मिश्रा: (2010) 8** एस सी सी **803** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है।

12. नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ: (2011) 1 एस सी सी **307** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया था कि:-

*"**29.** इस प्रकार, यद्यपि यह विनिश्चय करने के लिए कोई कठोर और अनम्य नियम या परीक्षण प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है कि क्या धारा **406**, दं.प्र.सं. के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, किन्तु उक्त धारा की उपधारा **(2)** एवं **(3)** के पठन मात्र से और इस न्यायालय के विनिश्चयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि **वाद के अंतरण का आदेश सामान्य प्रक्रिया के तौर पर या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी हितबद्ध पक्षकार ने वाद के उचित संचालन के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है। इस शक्ति का सावधानीपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां वाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।** वाद के अंतरण के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय, जिन कुछ व्यापक कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, इस प्रकार हैं:*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

(i) जब ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य मशीनरी या अभियोजन अभियुक्त के साथ मिलीभगत करके काम कर रहा है,और अभियोजन पक्ष के ढुलमुल दृष्टिकोण के कारण न्याय विफल होने की संभावना है;

(ii) जब यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री हो कि अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित कर सकता है या परिवादी को शारीरिक हानि पहुंचा सकता है;

(iii) ***सरकारी और गैर-सरकारी साक्षियों के यात्रा एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने में सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार के अतिरिक्त, अभियुक्त, परिवादी/अभियोजन और साक्षियों को होने वाली तुलनात्मक असुविधा और कठिनाइयां*** *;*

(iv) सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण वातावरण, जिससे लगाए गए आरोपों और अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति के कारण, निष्पक्ष और तटस्थ विचारण होने असमर्थता के कुछ साक्ष्य का संकेत मिलता है; और

(v) ऐसी किसी सामग्री का अस्तित्व, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ व्यक्ति इतने अधिक प्रतिकूल हैं कि वे न्याय की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं या ऐसा करने की संभावना है।"

(बल प्रदान किया गया)

13. रूपाली देवी बनाम उ. प्र. राज्य: (2019) 5 एस सी सी **384** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि *"उस स्थान के न्यायालयों को भी, जहां पत्नी, अपने पति या*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कृत्यों के कारण वैवाहिक घर छोड़ने या वहां से निकाल दिए जाने के बाद शरण लेती है, तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा, दंड संहिता की धारा **498**-क के अधीन कारित अपराधों के परिवाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा।"* इस प्रस्थापना पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जिस स्थान पर पत्नी ने शरण ली है, वहां के न्यायालय को भी उसके परिवाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा, किन्तु वर्तमान वाद में, पत्नी ने स्वयं ही रायबरेली में परिवाद दाखिल किया था। प्रश्न यह है कि क्या इस वाद को रायबरेली से कानपुर नगर स्थानांतरित करने के लिए कोई पर्याप्त आधार है।

14. दिनेश महाजन बनाम विशाल महाजन: अंतरण याचिका दांडिक सं. **442** वर्ष **2021, 26.10.2021** को विनिश्चित, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि *"कोई परिवाद दर्ज किए बिना या उक्त आधार की पुष्टि किए बिना, जीवन के खतरे का केवल आशंका, किसी वाद को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।"*

15. ज्योति मिश्रा बनाम धनंजय मिश्रा: (2010) 8 एस सी सी **803** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि:-

*"**5.** यह सत्य है कि विवाह का विघटन, दांपत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन या भरण-पोषण से संबंधित मामलों में, यह न्यायालय पत्नी के प्रति बहुत उदारता बरतता है और साधारणतः मामले को उस जगह स्थानांतरित कर देता है जहां पत्नी के लिए कार्यवाही में सम्मिलित होना*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

अधिक सुविधाजनक हो। किन्तु एक आपराधिक मामला कुछ भिन्न प्रकार का होता है। अभियुक्त अनेक कारणों से इंदौर के न्यायालय की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकता है, जिनमें से एक कारण आर्थिक बाधा हो सकती है; किन्तु इंदौर के न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित न होने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं।

6. *एक आपराधिक वाद में अभियुक्त की अनुपस्थिति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, हम याची की स्थानांतरण की प्रार्थना को स्वीकार करने के अनिच्छुक हैं। एक आपराधिक कार्यवाही में, अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार और स्वयं की प्रतिरक्षा करने के उचित अवसर को परिवादी की सुविधा के लिए, केवल इसलिए कि वह आरोपी की अलग रह रही पत्नी है, उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।"*

Translated Version. Not for Legal Use.

16. जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दिनेश महाजन बनाम विशाल महाजन** (उपर्युक्त) में निर्णीत किया है, केवल किसी खतरे की आशंका होना, किसी मामले का अंतरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। **नाहर सिंह यादव बनाम भारत संघ** (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि के अनुसार, विचारण अंतरण करने का आदेश सामान्य प्रक्रिया के तौर पर या केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि किसी संबंधित पक्षकार ने विचारण के उचित संचालन के बारे में कोई आशंका व्यक्त की है। इस शक्ति का सावधानी से और असाधारण स्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां विचारण की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

जाए। अभियुक्त, अभियोजन और साक्षियों को होने वाली तुलनात्मक असुविधा और कठिनाइयां भी विचारण अंतरण के विरुद्ध एक अवरोधक होंगे।

17. जब हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों की परीक्षा करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने **06.12.2020** को विरोधी पक्षकार से विवाह किया था। **05.03.2021** को दर्ज प्र.सू.रि. के अनुसार, वे **21.01.2021** से अलग रह रहे हैं। अंतरण का आधार यह है कि **21.02.2023** को, विरोधी पक्षकार ने न्यायालय परिसर के अंदर आवेदक को धमकी दी थी और उसके साथ मारपीट की थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना में आवेदक को कोई चोट नहीं लगी थी। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विरोधी पक्षकार सं. **1** ने अपने प्रति-शपथपत्र में इस आरोप से इन्कार किया है। आवेदिका न्यूज़ **85.**आई एन में उप-संपादक के रूप में कार्य कर रही है और एक पत्रकार होने के कारण, वह स्वतंत्र रूप से यात्रा करती है, प्रभावशाली व्यक्तियों के साक्षात्कार लेती है, और ऐसा नहीं है कि आवेदिका किसी खतरे की आशंका के कारण कहीं आ-जा नहीं पा रही है। उपर्युक्त तथ्य यह संकेत देते हैं कि आवेदिका द्वारा रायबरेली में आरंभ किए गए विचारण को कानपुर नगर अंतरित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

18. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि से, स्थानांतरण आवेदन सारहीन है और इसे ***<u>खारिज</u>*** किया जाता है।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

25 **मार्च** 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"